बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

सं०सं०–ल०सिं०मो०–(मो०)–CM-e-dash-06/2020- 1608 (मो०) */पटना, दिनांक–* 21/8/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई।

विषयः–**मौजा–इन्दपै, थाना–व जिला–जमुई राज्य बिहार अवस्थित आम गैरमजरूआ पोखर जिसका खाता संख्या–116, खेसरा नं0–374, रकवा–08 एकड़ 51 डिस्मिल स्थित आम दिग्धी पोखर (तालाब) का जीर्णोद्धार करने के नाम पर उसके स्वरूप को छोटा करने व असामाजिक तत्वों द्वारा दिग्धी पोखर के क्षेत्र का अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**श्री शंकर प्रसाद सिंह एवं समस्त ग्रामीण जनता से प्राप्त आवेदन संख्या–शून्य, दिनांक–03.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में **श्री शंकर प्रसाद सिंह एवं समस्त ग्रामीण जनता इन्दपै** ने सूचित किया है कि जमुई जिलान्तर्गत खाता संख्या–116, खेसरा संख्या–374, रकबा–08 एकड़ 51 डिस्मिल का गैरमजरूआ आम दिग्धी पोखर (तालाब) को विगत कुछ वर्षों से दबंग एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक अतिक्रमण करने एवं तालाब का स्वरूप भी छोटा किया जा रहा है, जिसपर माननीय विभागीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा जांच कराकर जनहित में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय तथा नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन,
21/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1608 (मो०) */पटना, दिनांक–* 21/8/2020

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1608 (मो०) */पटना, दिनांक–* 21/8/2020

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1608 (मो०) */पटना, दिनांक–* 21/8/2020

प्रतिलिपि– **श्री शंकर प्रसाद सिंह साकिन इन्दपै, थाना एवं जिला–जमुई को** सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

(231)

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जमुई
जिला –जमुई, राज्य–बिहार

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
मं०स०प्रे०सं० 645
दिनांक 18.06.2020

विषय :– मौजा–इन्दपै, थाना व जिला जमुई राज्य– बिहार अवस्थित आम गैरमजरूआ पोखर जिसका खाता नं०116 खेसरा नं० 374/5 रकबा 8 एकड़ 51डी० स्थित आम दिग्घी पोखर (तालाब) का जीर्णोद्धार करने के नाम पर उसके स्वरूप को छोटा करने व असामाजिक तत्वों द्वारा दिग्घी पोखर के क्षेत्र का अतिक्रमण करने के संबंध में।

लघु जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना
23 JUN 2020
(अपर मुख्य सचिव कोषांग)

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि हमलोग साकिन– इन्दपै, थाना व जिला जमुई राज्य–बिहार के स्थायी वासी हैं। हमलोगों के यहाँ खाता नंबर 116 खेसरा 375 रकबा 8 एकड़ 51 डिसमिल का गैरमजरूआ आम दिग्घी पोखर में पानी पहले पूरी मात्रा में रहता था जिसका उपयोग सैकड़ों वर्ष पूर्व से हम ग्रामीण कृषि कार्य, पूजा–पाठ व छठ पर्व में अर्ध्य देने के साथ ही साथ जानवरों के पानी पीने हेतु विभिन्न प्रकार से करते चले आ रहे हैं। इसमें बुढ़िया पईन होकर भी पानी आता है यह तालाब पोखर हम समस्त ग्रामीण लोगों के लिए कृषि कार्य हेतु पटवन का प्रमुख स्रोत होने के साथ ही साथ पूजा–पाठ व अन्य कार्यों हेतु बहुत ही उपयोगी है। इस तालाब से हमलोगों के अगल बगल के गाँव यथा मरकट्टा व नीमारंग में भी सैकड़ों एकड़ भूमि में पटवन का कार्य किया जाता है। इसके कुछ भाग को विगत कुछ वर्षों से दबंग व असामाजिक तत्वों द्वारा अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक अतिक्रमण कर लिया गया है तथा वर्तमान वर्ष 2020 में इस पोखर(तालाब) की खुदाई की जा रही है तथा खोदी गई मिट्टी को इससे बाहर नहीं फेंककर सरकारी जलाशय जीर्णोद्धार योजना के विपरीत पुनः इसी पोखर(तालाब) में ही वापस भरकर इसके स्वरूप को छोटा किया जा रहा है। जिससे आहर की खुदाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा सरकारी पैसे का भी दुरूपयोग हो रहा है जो न्यायहित व जनहित के बिल्कुल विपरीत है। यदि इसकी खुदाई ठीक ढंग से नहीं कराकर तालाब से मिट्टी बाहर नहीं फेंका गया एवं इसे अतिक्रमणमुक्त नहीं कराया गया तो इससे हम समस्त ग्रामीणों की कृषि कार्य सहित जनजीवन प्रभावित हो जाएगा।

(नरेन्द्र नारायण यादव)

2734/MCS 23/6/20

3070 (मो०) 30-06-2020

P.T.O

अतः श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में साथ ही साथ जनहित व न्यायहित में उक्त तालाब के आकार को छोटा न करते हुए इसकी समुचित खुदाई कर उसके स्वरूप को विकसित करने हेतु तालाब की खोदी गई मिट्टी को तालाब में पुनः न भरकर, बाहर फेंकने के साथ ही साथ इस दिग्घी पोखर(तालाब) को शीघ्रातिशीघ्र अतिक्रमणमुक्त करने हेतु उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे जनजीवन सुरक्षित हो सके।

श्रीमान् की इस कृपा के लिए हम ग्रामीण सदैव आपके आभारी बने रहेंगे।

प्रतलिपि प्रेषित :–

1. माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, पटना
2. माननीय सिंचाई मंत्री, लघु सिंचाई विभाग, पटना
3. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई
4. श्रीमान् अनुमंडलाधिकारी महोदय, जमुई
5. श्रीमान अधीक्षण अभियंता महोदय, लघु सिंचाई विभाग जमुई
6. श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, जमुई एवं
7. श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय,जमुई को आवश्यक, अपेक्षित नैसर्गिक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ सादर प्रेषित।

दिनांक 03/6/20.

श्रीमान का विश्वासी

ग्रामीण जनता इन्दपे

शंकर प्रसाद

अरविन्द सिंह

धर्मेन्द्र कुमार

राजेश कुमार

गीता सिंह

शैलेन्द्र कुमार सिंह

सुबोध कुमार

अतीत कुमार

राजेन्द्र कुमार सिंह

नन्द किशोर सिंह

ज्ञानेश्वर पाण्डेय

श्रीकान्त ध्यान

२२१ राम नारायण सिंह
H. K. Pandey
Kaushal
पूर्णेन्दु राम

संजीव कुमार सिंह
मंजु राय
राम किशोर मिश्रा
Vasudan yadav
कृष्णा मिश्रा
रामनूराम
Kusheshwar Ram
S. K. Mishra
(संजय कुमार मिश्रा)

[illegible]
[illegible]
Hehik Ram
Manish Kumar
उपेन्द्र पंडित
विनोद पंडित
सुरेन्द्र पंडित
रामप्रवेश सिंह
संजू सिंह
[illegible] पंडित
Binod Kumar
कपिल तांती

अर्जुन तांती